

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारत औसत विधि के तहत
स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली के संबंध में परामर्श पत्र

नई दिल्ली, भारत

22 अप्रैल 2020

महानगर दूरसंचार भवन

जवाहर लाल नेहरू मार्ग,

नई दिल्ली- 110002

हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां दिनांक 20 मई 2020 तक और जवाबी टिप्पणियां दिनांक 3 जून 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट: www.trai.gov.in पर डाली जाएंगी। टिप्पणियों और जवाबी टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री सैयद तौसिफ अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा को advmn@tra.gov.in पर भेजा जा सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, उनसे टेलीफोन: + 91-11-23210481 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

विषयवस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय 1	प्राक्कथन	1
अध्याय 2	स्पेक्ट्रम साझा करने से संबंधित दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच	2
अध्याय 3	परामर्श के लिए मुद्दे	13

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1	दिनांक 15 जनवरी 2020 का दूरसंचार विभाग का पत्र	14
परिशिष्ट 2	दिनांक 18 मार्च 2020 का दूरसंचार विभाग का ईमेल	19

अध्याय 1

प्राक्कथन

1.1 दूरसंचार विभाग (दूरसंचार) अपने पत्र संख्या 1000/01/2020-डबल्यूआर दिनांक 15 जनवरी 2020 (परिशिष्ट 1) के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ आलिया, बताया कि 24 सितंबर 2015 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम के बंटवारे के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि शेयरिंग के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारियों की स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एसयूसी) दर में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होती है। दूर संचार विभाग ने यह भी सूचित किया है कि उसे यह अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि साझा करने के बाद 0.5 प्रतिशत वृद्धिशील एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों द्वारा धारित संपूर्ण स्पेक्ट्रम पर, क्योंकि साझा करने की अनुमति किसी विशेष बैंड में ही है। इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे कि (1) क्या स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामलों में एसयूसी दर में वृद्धिशील 0.5 प्रतिशत केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू किया जाना चाहिए जिसमें साझाकरण हो रहा है; या एसयूसी की समग्र भारित औसत दर, जो सभी बैंडों से निकाली गई हो और (2) भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) के तहत इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली कोई अन्य सिफारिश।

1.2 प्राधिकरण ने दिनांक 5 मार्च 2020 के अपने पत्र के माध्यम से को दूरसंचार विभाग से अतिरिक्त जानकारी मांगी। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने अपने ईमेल दिनांक 18 मार्च 2020 (परिशिष्ट-2) के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी प्रदान की।

1.3 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह परामर्श पत्र पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है और इस दस्तावेज में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से जानकारी प्राप्त करता है। अध्याय 2 में एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम के बंटवारे पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान (प्रावधानों) और दूरसंचार विभाग द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदनों की जांच की गई है। अध्याय 3 परामर्श के लिए मुद्दों को सूचीबद्ध करता है।

अध्याय 2

स्पेक्ट्रम साझा करने से संबंधित दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक

प्रावधानों की जांच

क. पृष्ठभूमि

2.1 स्पेक्ट्रम साझा करने का मूल उद्देश्य दो लाइसेंसधारियों के स्पेक्ट्रम होल्डिंग को मिलाकर/एकत्र करके स्पेक्ट्रल दक्षता को बढ़ाना है। यदि दो लाइसेंसधारक अपने स्पेक्ट्रम होल्डिंग को पूल करते हैं, तो स्पेक्ट्रल दक्षता गैर-रैखिक रूप से अर्थात् स्पेक्ट्रम ब्लॉक के 10 मेगाहर्ट्ज के साथ प्राप्त डाटा दर 5 मेगाहर्ट्ज प्रत्येक के दो अलग-अलग ब्लॉकों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है और डिजिटलीकरण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) के बढ़ने के साथ, स्पेक्ट्रम की मांग बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। आंकड़ों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्पेक्ट्रम का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। स्पेक्ट्रम साझा करने से उन स्थानों पर अतिरिक्त नेटवर्क क्षमताएं भी प्रदान की जा सकती हैं जहां स्पेक्ट्रम की कमी के कारण नेटवर्क की भीड़ है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग कैरियर एकत्रीकरण की तकनीक पर काम करता है। कैरियर एकत्रीकरण निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है:

क) अंतर-बैंड समीपस्थ ब्लॉक

ख) अंतर-बैंड गैर-समीपस्थ ब्लॉक

ग) इंटर-बैंड

ख. भारत में स्पेक्ट्रम साझा करने के दिशानिर्देशों का विकास

2.2 भादूविप्रा (जिसे 'प्राधिकरण' भी कहा जाता है) ने दिनांक 11 मई, 2010 को 'स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क' पर अपनी सिफारिशों में स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश की थी। दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) के संदर्भ में इन सिफारिशों पर दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के पिछले संदर्भ में प्राधिकरण ने अपनी पहले की सिफारिशों की फिर से जांच की और नवंबर 2011 में स्पेक्ट्रम साझा करने पर उन्हें संशोधित किया।

2.3 प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने दिनांक 15 फरवरी, 2012 के प्रेस वक्तव्य के माध्यम से 2जी स्पेक्ट्रम (800/900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड) को साझा करने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे। नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया था कि स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब नीलामी की शर्तें इसकी अनुमति दें।

2.4 फरवरी, 2014 में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस (एनआईए) में यह कहा गया था कि 'व्हिजुअल टैजिनिंग ऑपरेटर्स का पूरा स्पेक्ट्रम एक विशेष बैंड (900 मेगाहर्ट्ज/1800 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज) में होल्डिंग है, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त स्पेक्ट्रम शुल्क के स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति दी जाएगी। स्पेक्ट्रम के बंटवारे के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश यथासमय जारी किए जाएंगे।' नवंबर 2012 और मार्च 2013 में हुई स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए एनआईए में इसी तरह की शर्तें थीं।

2.5 वर्ष 2014 में जब प्राधिकरण स्पेक्ट्रम व्यापार पर अपने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा था, कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने अनुरोध किया कि स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए दिशा-निर्देशों पर अपनी सिफारिशें देने पर भी विचार कर सकता है। बाद में प्राधिकरण ने देश में स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए कार्य दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न टीएसपी के प्रतिनिधियों की एक विषय निर्वाचन समिति का गठन किया। विषय निर्वाचन समिति द्वारा प्रस्तुत स्पेक्ट्रम बंटवारे के बारे में दिशा-निर्देशों के मसौदे के आधार पर, टीएसपी के मुख्य कार्यकारी

अधिकारियों/सीएमडी द्वारा दिए गए इनपुट और इसके अपने विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर दिशा-निर्देशों पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और दिनांक 21 जुलाई 2014 को इसे दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किया। दिनांक 27 अप्रैल 2015 को अपने पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने पुनर्विचार के लिए भादूविप्रा को कई सिफारिशों को वापस भेज दिया। विभिन्न सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के विचारों को देखने के बाद भादूविप्रा ने अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 21 मई 2015 को दूरसंचार विभाग को भेजा।

2.6 इसके बाद भादूविप्रा की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने दिनांक 24 सितंबर 2015 को एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम के बंटवारे के लिए गाइडलाइंस जारी की। ये मौजूदा स्पेक्ट्रम शेयरिंग दिशानिर्देश हैं, जो स्पेक्ट्रम साझा करने की वर्तमान व्यवस्था पर लागू होते हैं।

ग स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बाद वृद्धिशील एसयूसी पर भादूविप्रा की सिफारिशें

2.7 भादूविप्रा ने दिनांक 21 जुलाई, 2014 की अपनी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया था कि सभी एक्सेस स्पेक्ट्रम को साझा करने योग्य बनाया जाएगा बशर्ते कि दोनों लाइसेंसधारियों के पास एक ही बैंड में स्पेक्ट्रम हो। यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक लाइसेंसी पोस्ट शेयरिंग की एसयूसी दर में एजीआर की 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह अनुमानित किया जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक स्पेक्ट्रम साझा प्रस्ताव एक अलग प्रस्ताव है, जो स्पेक्ट्रम बैंड और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के लिए विशिष्ट है, 0.5 प्रतिशत की वृद्धिशील एसयूसी निर्दिष्ट एलएसए में उस विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू होती है।

2.8 इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्येक स्थल पर साझा किए जा रहे स्पेक्ट्रम की मात्रा की निगरानी करना और एजीआर साइट वार/क्षेत्रवार अलग करना संभव नहीं है, भादूविप्रा ने सिफारिश की कि एसयूसी चार्ज करने के उद्देश्य से यह माना जाएगा कि लाइसेंसधारक पूरे एलएसए में विशेष बैंड में पूरे स्पेक्ट्रम होल्डिंग को साझा कर रहे हैं।

घ. संदर्भ के लिए कारक

2.9 दिनांक 15 जनवरी 2020 के संदर्भ में, दूरसंचार विभाग ने अभ्यावेदन प्राप्त करने का उल्लेख किया कि 0.5 प्रतिशत की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू की जानी चाहिए, जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों के पूरे स्पेक्ट्रम पर, क्योंकि साझा करने की अनुमति एक विशेष बैंड में ही है। दूरसंचार विभाग ने इसके संदर्भ के साथ अभ्यावेदनों की प्रतियां भी अग्रेषित कर दी हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदनों में, निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:

- क) संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) के कुछ कार्यालय लाइसेंसधारक के संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर गलत तरीके से 0.5 प्रतिशत एसयूसी दर लगा रहे हैं न कि किसी विशेष बैंड पर जिसके लिए स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति दी गई है।
- ख) वृद्धिशील 0.5 एसयूसी दर केवल उस विशेष बैंड पर लागू होती है जिसके लिए साझा करने की अनुमति दी गई है न कि अन्य स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर।
- ग) दूरसंचार विभाग ने दिनांक 24 सितंबर, 2015 के स्पेक्ट्रम साझा करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद (2) के माध्यम से एक ही बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दो सेवा प्रदाताओं के बीच स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति दी है। इसके अलावा इन दिशा-निर्देशों के पैरा (3) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि जब दोनों लाइसेंसधारकों के पास अलग-अलग बैंडों में स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति नहीं है।
- घ) स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के उद्देश्य से दिनांक 24 सितंबर 2015 के स्पेक्ट्रम साझा करने संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा (12) के अनुसार यह माना जाएगा कि लाइसेंसधारी अपने पूरे स्पेक्ट्रम होल्डिंग को पूरे लाइसेंसप्राप्त सेवा क्षेत्र में किसी विशेष बैंड में साझा कर रहे हैं और एसयूसी दर को एजीआर के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

- ड) खंड (2), (3) और (12) के संयुक्त पठन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि स्पेक्ट्रम के बंटवारे की अनुमति केवल एक ही समान बैंड में है। इसलिए, उस विशेष स्पेक्ट्रम बैंड जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच बांटने की अनुमति दी गई है, की एसयूसी दर में केवल एजीआर के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह लाइसेंसधारियों द्वारा धारित अन्य स्पेक्ट्रम बैंडों में नहीं होगी।
- च) इसके मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी सीसीए को तत्काल एक उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी किया जाए जिसमें यह निर्देश दिया जाए कि स्पेक्ट्रम के प्रत्येक लाइसेंसी द्वारा साझा करने के उपरांत विशेष बैंड के लिए एसयूसी दर में एजीआर की 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिसके लिए स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति दी गई है और यह लाइसेंसधारियों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग के लिए भारित औसत एसयूसी दर पर नहीं होगी।

2.10 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग ने अभ्यावेदन भेजा है और भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि वह निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे कि (1) क्या स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामलों में एसयूसी दर में वृद्धिशील 0.5 प्रतिशत केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू किया जाना चाहिए जिसमें साझाकरण हो रहा है; या एसयूसी की समग्र भारित औसत दर, जो सभी बैंडों से निकाली गई हो और (2) इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली कोई अन्य सिफारिश।

2.11 दूरसंचार विभाग ने दिनांक 18 मार्च 2020 के अपने ईमेल के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारित औसत एसयूसी दर लागू पोस्ट शेरिंग पर एक नमूना गणना पत्रक शामिल है; जिसमें दूरसंचार विभाग ने दो परिदृश्य दिए हैं, एक में जहां भारित औसत एसयूसी दर की गणना करते हुए एसयूसी दर को एक विशेष बैंड में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है और दूसरे परिदृश्य में, समग्र भारित औसत एसयूसी प्री-शेरिंग व्यवस्था में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, दूरसंचार विभाग में इस बात पर अस्पष्टता है कि साझा करने के बाद एसयूसी दर में वृद्धि कैसे बढ़ाई जानी चाहिए।

ड वर्तमान स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क

2.12 एसयूसी की प्रचलित दरें स्पेक्ट्रम के आवंटन की कार्यप्रणाली, यानी प्रशासनिक रूप से आवंटित या नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित, के साथ बदलती हैं। एसयूसी दरें विभिन्न नीलामियों के माध्यम से आवंटित समान स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बदल जाती हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क) ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) सेवा यानी 900 मेगाहर्ट्ज बैंड और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए प्रशासनिक रूप से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए स्लैब वार एसयूसी की निम्नलिखित दरें लागू हैं:

जीएसएम स्पेक्ट्रम की मात्रा	स्पेक्ट्रम शुल्क एजीआर के प्रतिशत के रूप में
2 × 4.4 मेगाहर्ट्ज तक	3 प्रतिशत
2 × 6.2 मेगाहर्ट्ज तक	4 प्रतिशत
2 × 8.2 मेगाहर्ट्ज तक	5 प्रतिशत
2 × 10.2 मेगाहर्ट्ज तक	6 प्रतिशत
2 × 12.2 मेगाहर्ट्ज तक	7 प्रतिशत
2 × 15.2 मेगाहर्ट्ज तक	8 प्रतिशत

ख) कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) सेवा यानी 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए प्रशासनिक रूप से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए स्लैब वार एसयूसी की निम्नलिखित दरें लागू होती हैं:

सीडीएमए स्पेक्ट्रम की मात्रा	स्पेक्ट्रम शुल्क एजीआर के प्रतिशत के रूप में
2 × 5.0 मेगाहर्ट्ज तक	3 प्रतिशत
2 × 6.25 मेगाहर्ट्ज तक	4 प्रतिशत
2 × 7.5 मेगाहर्ट्ज तक	5 प्रतिशत
2 × 10.0 मेगाहर्ट्ज तक	6 प्रतिशत
2 × 12.5 मेगाहर्ट्ज तक	7 प्रतिशत
2 × 15.0 मेगाहर्ट्ज तक	8 प्रतिशत

ग) 2010 में हुई नीलामी के माध्यम से सौंपे गए 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए एनआईए के अनुसार एसयूसी की निर्धारित दरें इस प्रकार हैं (प) 3जी स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम चार्ज 2जी और 3जी सेवाओं के कुल एजीआर पर देय होगा;(पप) स्टैंड-अलोन 3जी ऑपरेटरों के लिए स्लैब दर सबसे कम स्लैब दर यानी एजीआर के 3 प्रतिशत के बराबर होगी।

घ) वर्ष 2010 में हुई नीलामी के माध्यम से सौंपे गए 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए एनआईए ने वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में इस स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए सेवाओं से एजीआर की 1 प्रतिशत की एसयूसी दर प्रदान की। 1 प्रतिशत की यही एसयूसी दर 2010 की नीलामी में 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के बाजार निर्धारित मूल्य पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) ऑपरेटरों को प्रशासनिक रूप से सौंपे गए 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड पर भी लागू थी।

ङ) 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2012 और 2013 में की गई नीलामी के माध्यम से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी के माध्यम से दिया गया स्पेक्ट्रम संबंधित बैंड के तहत मौजूदा स्पेक्ट्रम होल्डिंग में जोड़ा जाता है ताकि ऊपर (क) और (ख) के अनुसार एसयूसी के लिए स्लैब का निर्धारण किया जा सके।

च) 2014 और 2.15 में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में आयोजित नीलामी के माध्यम से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी की लागू दर 5 प्रतिशत है।

छ) 2016 में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में हुई नीलामी के माध्यम से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए 3 प्रतिशत की एसयूसी दर लागू है।

2.13 उपरोक्त लागू अंतर एसयूसी दरों को ध्यान में रखते हुए, भारत औसत एसयूसी (बशर्ते न्यूनतम 3 प्रतिशत हो) देय एसयूसी की गणना के लिए लाइसेंसधारक के समय एजीआर पर लागू किया जाता है।

2.14 विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम की विभिन्न मात्रा के लिए एसयूसी का निर्धारण करने में शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 9 सितंबर, 2013 की अपनी सिफारिशों में कहा था कि नीलाम किए गए सभी स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी वायरलेस सेवाओं के एजीआर के 3 प्रतिशत की फ्लैट दर होनी चाहिए। हालांकि, दूरसंचार विभाग ने एजीआर के 3 प्रतिशत के फ्लैट एसयूसी दर की भादूप्रा की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है और दिनांक 31 अक्टूबर 2014 के पत्र के माध्यम से भारत औसत की अवधारणा को लागू किया गया।

2.15 जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, भादूप्रा ने दोनों लाइसेंसधारियों के लिए साझा की जा रही स्पेक्ट्रम बैंड के लिए एसयूसी दर को 0.5 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की थी। जब भादूप्रा ने 2014 में अपनी सिफारिशें दी थीं, तो भारत औसत एसयूसी की अवधारणा प्रचलित नहीं थी, और इसे दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को दूरसंचार विभाग के आदेश संख्या पी-14010/01/2014-एनटीजी के तहत पेश किया गया था। इसके बाद, दिनांक 27 अप्रैल 2015 के अपने पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने कई सिफारिशों को प्राधिकरण को

पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, जिसमें साझाकरण के मामले में लागू होने वाले एसयूसी पर पुनर्विचार शामिल था। भादूविप्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में अपनी पहले की सिफारिश दोहराई।

2.16 बीच की अवधि में दो और स्पेक्ट्रम नीलामी एक 2015 और दूसरी 2016 में की गई। 2015 में हुई नीलामी के माध्यम से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी दर 5 प्रतिशत थी और 2016 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए यह 3 प्रतिशत थी। एसयूसी के लिए अलग-अलग दरों की बढ़ती संख्या समग्र भारत औसत एसयूसी की गणना में जटिलताओं को बढ़ाती है।

2.17 वर्ष 2018 में, प्राधिकरण ने टीएसपी के बीच स्पेक्ट्रम साझा करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी एकत्र की थी। टीएसपी द्वारा प्रस्तुत सूचना से स्पेक्ट्रम साझाकरण में टीएसपी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कोई संकेत नहीं हैं। इससे पता चलता है कि स्पेक्ट्रम बंटवारे में ज्यादा तेजी नहीं आई है और कुछ मामलों को छोड़कर, जहां पूरे एलएसए के लिए शेयरिंग की जाती है, ज्यादातर मामलों में कुछ समूहों के लिए साझा करने की व्यवस्था की गई थी।

2.18 मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्पेक्ट्रम साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश करने पर, एलएसए में एसयूसी में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होती है जहां स्पेक्ट्रम का बंटवारा हो रहा है। इस संबंध में, यह जांच के लायक हो सकता है कि टीएसपी के आउटगो पर राजस्व प्रवृत्तियों और एसयूसी वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तालिका 1 टीएसपी (एक्सेस सेवा प्रदाताओं) के एजीआर को दिखाता है।

तालिका 1: टीएसपी का एजीआर (एक्सेस सेवा प्रदाताओं)

वित्तीय वर्ष	एजीआर (करोड़ रुपये)
2013-14	124,174.98
2014-15	138,566.22
2015-16	154,639.63
2016-17	155,314.06
2017-18	116,466.38
2018-19	103,479.29

2.19 जिस आधार पर भादूविप्रा ने एसयूसी दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की थी, वह यह था कि स्पेक्ट्रम के पूलिंग से स्पेक्ट्रम का उपयोग बढ़ेगा और अतिरिक्त क्षमता से अधिक राजस्व मिलेगा। हालांकि, दो मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है:

- (1) एसयूसी आदर्श रूप से एक प्रशासनिक प्रभार है, जो स्पेक्ट्रम के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक लागत के लिए सरकार को देय है। चूंकि टीएसपी पहले से ही एजीआर के प्रतिशत के रूप में उन्हें आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम के बंटवारे से उन पर अतिरिक्त एसयूसी बोझ का औचित्य सिद्ध नहीं होता।
- (2) टीएसपी द्वारा अर्जित राजस्व प्रतिस्पर्धा, ग्राहक प्रोफाइल, सामर्थ्य स्तर, आदानों की लागत, टैरिफ आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों में, एक एलएसए में एक्सेस सेवा प्रदाताओं की संख्या 7-13 से घटकर 4 रह गई है। ओवरऑल एजीआर में भी कमी देखने को मिली है। हालांकि, एक स्पेक्ट्रम के बंटवारे पर एसयूसी दर में वृद्धि अनिवार्य रूप से टीएसपी के आउटगो (एसयूसी लेवी के माध्यम से) में वृद्धि होगी, भले ही राजस्व में वृद्धि हुई हो या नहीं। यह उल्लेखनीय है कि यदि स्पेक्ट्रम के बंटवारे के परिणामस्वरूप, टीएसपी (टीएसपीज) का राजस्व बढ़ जाता है तो मौजूदा एसयूसी दर के परिणामस्वरूप एसयूसी देय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि टीएसपी साझा स्पेक्ट्रम पहले से ही अपने संबंधित स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर एजीआर के प्रतिशत के रूप में एसयूसी का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा, यदि स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बाद एसयूसी दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है, तो टीएसपी भीड़ वाले क्षेत्रों में अपने नेटवर्क में सुधार

करने और कवरेज मुद्दों को भी ठीक करने के लिए स्पेक्ट्रम साझा करने का उपयोग करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। इसलिए स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बाद एसयूसी लगाए जाने और उसके व्यवहार पर फिर से विचार करना आवश्यक हो सकता है।

2.20 जैसा कि पहले से ही चर्चा की गई है, स्पेक्ट्रम शेयरिंग में कवरेज बढ़ाने (कम लागत के कारण) और नेटवर्क कंजेशन के मुद्दों को कम करने की क्षमता है। नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की लागत को अनुकूलित करने के लिए, दुनिया भर में दूरसंचार सेवा प्रदाता बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और स्पेक्ट्रम आदि के बंटवारे जैसे विभिन्न प्रकार के साझा तंत्र का सहारा ले रहे हैं। विनियामक ऑपरेटर्स के बीच स्पेक्ट्रम साझाकरण को सुगम बनाने के लिए नीतियां लागू करके स्पेक्ट्रम साझेदारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

2.21 ऐसी नीतियां बनाने के लिए जो भविष्य उन्मुख हों और नवाचार का समर्थन करें, हमें आगामी और नई प्रौद्योगिकियों के संबंध में स्पेक्ट्रम साझा करने के लाभ और इसकी आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। दुनिया भर में 5जी तकनीक या तो लॉन्च की जा चुकी है या फिर जल्द ही लॉन्च की जाएगी। टीएसपी को 5जी तकनीक लॉन्च करने की सुविधा देने के लिए पहली जरूरत स्पेक्ट्रम की उपलब्धता है। 5जी की सफलता के लिए, बुनियादी ढांचे का बंटवारा प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है और स्पेक्ट्रम साझा करना इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसलिए, स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए, स्पेक्ट्रम साझा करने की व्यवस्थाओं में प्रवेश करने में टीएसपी के सामने आ रहे मुद्दों की जांच करने की जरूरत है।

परामर्श के लिए मुद्दे

- प्रश्न 1. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दिनांक 24 सितंबर, 2015 के मौजूदा स्पेक्ट्रम-शेयरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, स्पेक्ट्रम के बाद के बंटवारे, एसयूसी दर पर 0.5 प्रतिशत की वृद्धि विशिष्ट बैंड में स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू होनी चाहिए जिसकी शेयरिंग हो रही हो, न कि टीएसपी के संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग (सभी बैंड) पर। कृपया अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।
- प्रश्न 2. क्या आपको लगता है कि एसयूसी दर में वृद्धि स्पेक्ट्रम साझा करने की व्यवस्था में प्रवेश करने में टीएसपी के लिए एक अवरोध है? इसके अलावा, क्या आप यह भी सोचते हैं कि स्पेक्ट्रम बंटवारे को सुगम बनाने के लिए स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बाद एसयूसी रेट में कोई वेतन वृद्धि नहीं होनी चाहिए? कृपया अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।
- प्रश्न 3. स्पेक्ट्रम साझाकरण को सुगम बनाने के लिए स्पेक्ट्रम साझा करने के दिशा-निर्देशों में और क्या बदलाव किए जाने की आवश्यकता है? कृपया अपने सुझावों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण और औचित्य प्रदान करें।
- प्रश्न 4. यदि इस विषय के लिए प्रासंगिक कोई अन्य मुद्दे/सुझाव हैं, तो हितधारक उचित स्पष्टीकरण और औचित्य के साथ इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्याय 3

परामर्श के लिए मुद्दे

- प्रश्न 1. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दिनांक 24 सितंबर, 2015 के मौजूदा स्पेक्ट्रम-शेयरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, स्पेक्ट्रम के बाद के बंटवारे, एसयूसी दर पर 0.5 प्रतिशत की वृद्धि विशिष्ट बैंड में स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू होनी चाहिए जिसकी शेयरिंग हो रही हो, न कि टीएसपी के संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग (सभी बैंड) पर। कृपया अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।
- प्रश्न 2. क्या आपको लगता है कि एसयूसी दर में वृद्धि स्पेक्ट्रम साझा करने की व्यवस्था में प्रवेश करने में टीएसपी के लिए एक अवरोध है? इसके अलावा, क्या आप यह भी सोचते हैं कि स्पेक्ट्रम बंटवारे को सुगम बनाने के लिए स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बाद एसयूसी रेट में कोई वेतन वृद्धि नहीं होनी चाहिए? कृपया अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।
- प्रश्न 3. स्पेक्ट्रम साझाकरण को सुगम बनाने के लिए स्पेक्ट्रम साझा करने के दिशा-निर्देशों में और क्या बदलाव किए जाने की आवश्यकता है? कृपया अपने सुझावों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण और औचित्य प्रदान करें।
- प्रश्न 4. यदि इस विषय के लिए प्रासंगिक कोई अन्य मुद्दे/सुझाव हैं, तो हितधारक उचित स्पष्टीकरण और औचित्य के साथ इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

दूरसंचार विभाग का दिनांक 15 जनवरी 2020 का पत्र

Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
Wireless Planning & Finance Wing
20, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 1000\01\2020-WR Dated: 15.01.2020

To

The Secretary,
Telecom Regulatory Authority of India,
Mahanagar Doorsanchar Bhawan,
Jawaharlal Nehru Marg (Old Minto Road),
New Delhi-110002

Subject: Methodology of applying Spectrum Usage Charges (SUC) under the weighted average method of SUC assessment, in cases of Spectrum Sharing

Sir,

Clause 13 of the Department's "Guidelines for Sharing of Access Spectrum by Access Service Providers" dated 24.09.2015 provides that: *"...considering the fact that spectrum sharing results in additional quantity of spectrum with both the licensees to serve higher number of consumers, the SUC rate of each of the licensees post sharing shall increase by 0.5% of AGR."* Accordingly, there is an incremental SUC rate of 0.5% applicable in cases of spectrum sharing.

2. In this regard representations have been received that the incremental SUC rate of 0.5% should be applied only to the particular spectrum band which has been allowed to be shared between two licensees, and not on the entire spectrum held by the licensees, since sharing is permitted in a particular band (Enclosed).

3. In view of above, TRAI is requested to provide:

(i) Recommendations, under section 11(1) of the TRAI Act 1997, as amended by TRAI Amendment Act, 2000, on whether the incremental 0.5% in SUC rate in cases of sharing of spectrum should be applied only on the specific band in which sharing is taking place; or to the overall Weighted Average Rate of SUC, which has been derived from all bands.

(ii) Any other recommendations deemed fit for the purpose.

Encl: As above

Rajeev Prakash
Rajeev Prakash
DDG(WPF)



179

RIL/DoT/2017-18/167
1st May, 2017

To

Sh. Srikanth Panda,
DDG (WPE),
DoT, Room No. 705, Sansar Bhawan,
20, Ashoka Road, New Delhi

भारत सरकार
Dept. of Telecom
दूरधरो मंत्रालय
Central Ministry
18/2 MAY 2017
पत्र प्राप्त किया
RECEIVED LETTER

Subject: Spectrum Usage Charges for Shared Spectrum.

Ref: RIL letter No. RIL/DoT/2016-17/878 dated 18.10.2016

Dear Sir,

Kindly refer to Reliance Jio Infocomm Ltd.'s (RIL) letter dated 18.10.2016 (copy enclosed) wherein it was informed that some CCAs are incorrectly levying incremental 0.5% SUC rate on the entire spectrum holding of the licensee and not on the particular band for which spectrum sharing has been allowed and he is requested to issue a clarification in this regard. While we are still awaiting the clarification, Office of CCA, MP service area has again calculated applicable SUC rate by applying 0.5% post sharing of spectrum on the RIL's entire spectrum holding.

2. In the above context, it is submitted that incremental 0.5% SUC rate is applicable only on the particular band for which sharing has been permitted and not on the other spectrum holding. In this regard please consider the following submissions.

(i) DoT vide para (2) of the Spectrum Sharing guidelines dated 24.09.2015 has allowed sharing of spectrum between two Service Providers utilising the spectrum in the same band. Further in para (3) of these guidelines it has been specified that spectrum sharing is not permitted when both the licensees are having spectrum in different bands.

(ii) As per para (12) of the Spectrum Sharing guidelines dated 24.09.2015, for the purpose of Spectrum Usage Charges (SUC) it shall be considered that licensees are sharing their entire spectrum holding in a particular band in the entire Licensed Service Area and SUC rate shall be increased to 0.5% of AGR.

(iii) The combined reading of clause (2), (3) and (12) makes it absolutely clear that sharing of spectrum is permitted only in the same band.


3. Therefore, increase of SUC rate of the particular spectrum band which has been allowed to be shared between two licensees shall only increase by 0.5% of AGR and not the other spectrum bands held by the licensees.



4. In view of the above we again request that a suitable clarification may kindly be issued urgently to all CCAs instructing that the SUC rate for each of the licensee post sharing of spectrum shall increase by 0.5% of AGR for the particular band for which spectrum sharing has been allowed and not on the weighted average SUC rate for the entire spectrum holding of the Licensee.

Thanking You,

For Reliance Do Infocomm Limited


(Kapoo Singh)
Authorized Signatory



Enclosure: As above

Copy to: Member (Finance) DoT, Sanchar Bhawan, 20, Astoka Road, New Delhi



No. A1/DOT/2016-17/878
18th October, 2016

To
Sh. Seewanta Parda,
DOG (W/F),
Department of Telecommunications,
Room No. 705, Sector Bhawan,
20, Ashoka Road,
New Delhi - 110001

Handwritten notes and stamps, including a date stamp '18 OCT 2016' and a signature.

Subject: Spectrum Usage Charge for Shared Spectrum

Ref: CCA/MPT/IS/Reliance Jo/SUC/2016-17/2015 dated 9/17.08.2016
CCA/MPT/IS/Reliance Jo/SUC/2016-17/2015 dated 21.09.2016
CCA/SIS/IS/IS/2016-17/3 dated 1.10.2016

Dear Sir,

1. This is with respect to the letters dated 1.8.2016, 17.09.2016, and 21.09.2016 (copies enclosed) received from the Director of J. Controller of Communications Accounts, MP and Gujarat service areas regarding applicable SUC rate post sharing of spectrum.
2. In the above said letters, it is erroneously stated that SUC rate post sharing of 800 MHz spectrum between Reliance Jo Infocomm Ltd (RIL) with Reliance Communications Ltd (RCOM) shall increase by 0.5% of AGR on the entire spectrum and not on the particular spectrum band for which sharing is done.
3. The relevant provisions for determination of SUC for shared spectrum is contained in NIA bearing ref: No.- 1000/16/2014-WF/Auction dated 26th January 2015 - Paragraph 3.7 ("2015 NIA") read with F-11004/18/2008-PP dated Feb 25th 2010 & F-14010/01/2014-NPS dated 31st October, 2014, and read with Spectrum Sharing Guidelines bearing ref No. I-14006/04/2015-NTG dated 24th September 2015 - Paragraph (15) ("Sharing Guidelines"). A collective reading of the aforesaid provisions is explained below:
 - a. Paragraph (2) of the Sharing Guidelines states that sharing is permitted between two service providers utilizing spectrum in the "same band".
 - b. Paragraph (13) of the Sharing Guidelines states that the SUC post-sharing shall increase by 0.5% of the AGR.
 - c. Inasmuch as the entire Sharing Guidelines are relevant only for the shared spectrum i.e. within the same band, the said increase will apply only for the

Reliance Jo Infocomm Limited: CIN L22209KA2007PLC234712
Correspondence Address: I-2, Chanderapada Building, 6, Jantar Mantar Road, New Delhi - 110001, India. Tel: 011-43523700; Fax: 011-43523701
Registered Office: 1st Floor, Maker Chambers N, 225, Narayan Pura, Mumbai - 400011, India. Tel: 022-27748000
www.jio.com




800 MHz spectrum band held in the licensed service areas, where sharing is done.

4. Therefore, SUC rate of the particular band which has been allowed to be shared between two licensees shall only increase by 0.5% of AGR and not the entire spectrum held by licensee.

5. In view of the above it is requested that suitable clarification may kindly be issued to the offices of CLAs instructing that the SUC rate for each of the licensees post sharing of spectrum shall increase by 0.5% of AGR for the particular band for which spectrum sharing has been allowed and not on the weighted average SUC rate for the entire spectrum holding of the licensee.

Thanking You,

For Reliance Jio Infocomm Limited


(Kapoor Singh Gulrani)
Authorized Signatory



Enclosure: As above.

Copy to: Sh. V.V. Singh, Wireless Advisor, Department of Telecommunications, Sector
Shawar, 21, Aruna Road, New Delhi 110001.



दिनांक 18 मार्च 2020 को दूरसंचार विभाग का ईमेल

प्रेषक: "जितिन बंसल " <jitin.bansal@gov.in>

के लिए: "एस टी अब्बास सलाहकार भादूविप्रा" <advmn@traigov.in>

सीसी: "राजीव प्रकाश" <Rajeev.prakash@nic.in>

कब भेजा गया: मंगलवार, 17 मार्च 2020 6:04:05 पीएम

विषय: स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में भारित औसत दर के तहत एसयूसी लागू करने की कार्यप्रणाली पर दूरसंचार विभाग के संदर्भ।

महोदय

कृपया दिनांक 103-1/2020-एनएसएल-2 और टेलिफोन पर हुई हमारी बातचीत के संदर्भ में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली पर अपने पत्र का संदर्भ देखें। तदनुसार, आवश्यक जानकारी इस मेल के साथ संलग्न है:

1. स्पेक्ट्रम साझा करने की व्यवस्था और स्पेक्ट्रम की मात्रा के बारे में जानकारी साझा की गई,
2. भारित औसत एसयूसी दर की गणना के लिए दूरसंचार विभाग का आदेश, और
3. शेयरिंग के बाद लागू भारित औसत दर पर एक नमूना गणना पत्रक।

धन्यवाद और सादर

जितिन बंसल

निदेशक (वायरलेस राजस्व) वायरलेस योजना और वित्त विंग

दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय

भारत सरकार

कक्ष-1116 केबिन-10 संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

वायरलेस योजना और समन्वय विंग

छठी मंजिल, संचार भवन,

20, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: एल-14006/01/2017-एनटीजी

तिथि: 23.07.2018

सेवा में,

सचिव

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय महानगर दूरसंचार भवन

जवाहर लाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड)

नई दिल्ली - 110002.

विषय: भादूप्रा ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300-3400 मेगाहर्ट्ज और 3400-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने के अधिकार की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस के संबंध में की गई सिफारिश।

महोदय

मुझे उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 103-1/2017-एनएसएल-2 दिनांक 21.05.2018 और संख्या 15.01/2017-एफ एंड ईए दिनांक 04.07.2018 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा मांगी गई निम्नलिखित जानकारी, यहां संलग्न है:

- (i) टीएसपी के एलएसए वार द्वारा ट्रेड/साझा किए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा और दूरसंचार विभाग द्वारा एलएसए वार ऑपरेटर वार ट्रेड/साझा किए गए स्पेक्ट्रम के कारण प्राप्त राशि और उन दरों पर जिस पर व्यापार या बंटवारा हुआ है, का ब्यौरा दिया गया है (परिशिष्ट 1 और 2)
- (ii) आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी (परिशिष्ट-3) के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम (बैंड वार, एलएसए वार) की उपलब्धता के नवीनतम आंकड़े।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के सामंजस्य की कवायद चल रही है। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 0.8 मेगाहर्ट्ज से 4.6 मेगाहर्ट्ज की सीमा में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम इस बैंड को रक्षा संचालन द्वारा छोड़े जाने के बाद कुछ एलएसए में नीलामी के लिए उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने मार्च और अप्रैल-2018 के महीनों में किशतों के भुगतान में चूक की है, जो 2013 और 2015 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी के संबंध में आस्थगित भुगतान की दिशा में है। इसके फलस्वरूप, लाइसेंसधारक को स्पेक्ट्रम कार्य को समाप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वर्तमान में ट्रेड/साझा किए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा का यह मामला विभाग में विचाराधीन है।

4. आगे यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एयरसेल की दिवालियापन याचिका राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में विचाराधीन है। इस मामले में फैसला होने के बाद एयरसेल ग्रुप में स्पेक्ट्रम होल्डिंग में परिवर्तन की संभावना है।

5. ऊपर पैरा 2, 3 और 4 में उल्लिखित घटनाओं के परिणामस्वरूप, नीलामी के लिए उपलब्ध अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को विभाग द्वारा इन घटनाओं के परिणाम को देखते हुए सूचित किया जाएगा।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न: यथोपरि

ह.

(सुखपाल सिंह)

भारत सरकार के संयुक्त वायरलेस सलाहकार

एक्सेस स्पैक्ट्रम के व्यापार का ब्यौरा

क्रम सं.	विक्रयकर्ता	खरीददार	एलएसए	कारोबार किए गए स्पैक्ट्रम की मात्रा	दर	राशि
				मेगाहर्ट्स में		करोड़ रु में
800 मेगाहर्ट्स						
1	रियाएंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	रियाएंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	7.5	व्यापार की राशि का 1 प्रतिशत या बाजार निर्धारित मूल्य का 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, व्यापार दिशानिर्देशों के अनुसार	
2			दिल्ली	7.5		
3			गुजरात	7.5		
4			कर्नाटक	7.5		
5			केरल	7.5		
6			कोलकाता	10.0		
7			महाराष्ट्र	7.5		
8			पंजाब	7.5		
9			राजस्थान	5.0		
10			तमिलनाडु	7.5		
11			उत्तर प्रदेश पूर्वी	2.5		
12			उत्तर प्रदेश पश्चिम	10.0		
13			पश्चिम बंगाल	7.5		
क्रम सं.	विक्रयकर्ता	खरीददार	एलएसए	कारोबार किए गए स्पैक्ट्रम की मात्रा	दर	राशि
				मेगाहर्ट्स में		करोड़ रु में
1800 मेगाहर्ट्स						
1	विडियोकोन टेलिकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	भारती एयरटेल लिमिटेड	बिहार	10.0	व्यापार की राशि का 1 प्रतिशत या बाजार निर्धारित मूल्य का 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, व्यापार दिशानिर्देशों के अनुसार	4.48
2			गुजरात	10.0		17.29
3			हरियाणा	10.0		3.40
4			मध्य प्रदेश	10.0		6.04
5			उत्तर प्रदेश पूर्वी	10.0		8.34
6			उत्तर प्रदेश पश्चिम	10.0		6.98

क्रम सं.	विक्रयकर्ता	खरीददार	एलएसए	कारोबार किए गए स्पैक्ट्रम की मात्रा	छर	राशि
				मेगाहर्ट्स में		करोड़ रु में
2300 मेगाहर्ट्स						
1	एयरसेल लिमिटेड / डिशनेट वायरलैस लिमिटेड	भारती एयरटेल लिमिटेड / भारती हैकजागोन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	20.0	व्यापार की राशि का 1 प्रतिशत या बाजार निर्धारित मूल्य का 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, व्यापार दिशानिर्देशों के अनुसार	16.28
2			असम	20.0		0.54
3			बिहार	20.0		1.51
4			जम्मू और कश्मीर	20.0		0.33
5			पूर्वोत्तर	20.0		0.33
6			ओडिशा	20.0		1.01
7			तमिलनाडु	20.0		31.46
8			पश्चिम बंगाल	20.0		1.08
9	तिकोना डिजिटल नेटवर्कस लिमिटेड	भारती हैकजागोन लिमिटेड	राजस्थान	20.0		1.66

एक्सेस स्पैक्ट्रम की शेयरिंग का ब्यौरा

क्रम सं.	स्पैक्ट्रम शेयर करने वाले टीएसपी	एलएसए	शेयर किए गए स्पैक्ट्रम की मात्रा		राशि
			मेगाहर्ट्स में		भारतीय रू में
			टीएसपी 1	टीएसपी 2	
800 मेगाहर्ट्स बैंड					
1	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (टीएसपी1) और रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड (टीएसपी2)	आंध्र प्रदेश	2.5	7.5	प्रत्येक एलएसए में शेयरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीएसपी द्वारा 50,000 रू की एकमुश्त प्रसंस्करण फीस का भुगतान किया गया।
2		असम	10.0	10.0	
3		बिहार	10.0	10.0	
4		दिल्ली	2.5	7.5	
5		हरियाणा	10.0	10.0	
6		हिमाचल प्रदेश	10.0	10.0	
7		कर्नाटक	2.5	7.5	
8		केरल	2.5	7.5	
9		कोलकाता	2.5	10.0	
10		मध्य प्रदेश	10.0	10.0	
11		महाराष्ट्र	2.5	7.5	
12		मुंबई	10.0	10.0	
13		पूर्वात्तर	10.0	10.0	
14		ओडिशा	10.0	10.0	
15		पंजाब	5.0	7.5	
16		राजस्थान	2.5	5.0	
17		तमिलनाडु	2.5	7.5	
18		उत्तर प्रदेश पूर्वी	7.5	10.0	
19		उत्तर प्रदेश पश्चिमी	2.5	10.0	
20		पश्चिम बंगाल	2.5	7.5	

क्रम सं.	स्पैक्ट्रम शेर करने वाले टीएसपी	एलएसए	शेर किए गए स्पैक्ट्रम की मात्रा		राशि
			मेगाहर्ट्स में		भारतीय रू में
			टीएसपी 1	टीएसपी 2	
1800 मेगाहर्ट्स बैंड					
1	भारती एयरटेल लिमिटेड (टीएसपी1) और टाटा टेलिसर्विसेस लिमिटेड / टाटा टेलिसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीएसपी2)	आंध्र प्रदेश	20.0	10.0	प्रत्येक एलएसए में शेयरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीएसपी द्वारा 50,000 रू की एकमुश्त प्रसंस्करण फीस का भुगतान किया गया।
2		महाराष्ट्र	10.0	10.0	
3		मुंबई	12.0	10.0	
2100 मेगाहर्ट्स बैंड					
1	भारती एयरटेल लिमिटेड (टीएसपी1) और टाटा टेलिसर्विसेस लिमिटेड / टाटा टेलिसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीएसपी2)	गुजरात	10.0	10.0	प्रत्येक एलएसए में शेयरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीएसपी द्वारा 50,000 रू की एकमुश्त प्रसंस्करण फीस का भुगतान किया गया।
2		हरियाणा	10.0	10.0	
3		कर्नाटक	10.0	10.0	
4		केरल	10.0	10.0	
5		मध्य प्रदेश	10.0	10.0	
6		महाराष्ट्र	10.0	10.0	
7		उत्तर प्रदेश पश्चिमी	10.0	10.0	

विभिन्न बैंडों में उपलब्ध स्पैक्ट्रम

क्र म सं.	सेवा क्षेत्र	700	800	900	1800	2100	2300	2500	3300-340	3400-360
		मेगाह र्टस	मेगाहर्ट स	मेगाहर्ट स	मेगाहर्ट स	मेगाहर्ट स	मेगाहर्ट स	मेगाहर्ट स	मेगाहर्ट स	0 मेगाहर्टस
		बैंड योजना:एफडीडी					बैंड योजना:टीडीडी		कोई बैंड योजना नहीं	
1	आंध्र प्रदेश	35.00	7.50		6.40	20.00	20.0	30.00	100.00	175.00
2	असम	35.00			3.00	15.00	20.0		100.00	175.00
3	बिहार	35.00	2.50	4.60	0.40	10.00	20.0	10.00	100.00	175.00
4	दिल्ली	35.00	2.50		15.20	15.00	20.0	20.00	100.00	175.00
5	गुजरात	35.00	1.25	3.00	6.00	15.00	20.0	10.00	100.00	175.00
6	हरियाणा	35.00	1.25	0.20**	8.80	10.00	40.0		100.00	175.00
7	हिमाचल प्रदेश	35.00	3.75		10.20	20.00	20.0	10.00	100.00	175.00
8	जम्मू और कश्मीर	35.00			14.00	10.00	40.0	10.00	100.00	175.00
9	कर्नाटक	35.00	2.50	0.20**	8.60	15.00	20.0	40.00	100.00	175.00
10	केरल	35.00	2.50		5.80	10.00	20.0		100.00	175.00
11	कोलकाता	35.00	2.50		6.20	15.00	20.0	20.00	100.00	175.00
12	मध्य प्रदेश	35.00	2.50		4.40	15.00	20.0		100.00	175.00
13	महाराष्ट्र	35.00	7.50		10.20	10.00	20.0	10.00	100.00	175.00
14	मुंबई	35.00	5.00		4.20	15.00	20.0	20.00	100.00	175.00
15	पूर्वांचल	35.00				15.00	20.0		100.00	175.00
16	ओडिशा	35.00	3.75		1.40	15.00	20.0		100.00	175.00
17	पंजाब	35.00	2.50		8.80	10.00	40.0	10.00	100.00	175.00
18	राजस्थान	35.00	2.50		4.40		40.0		100.00	175.00
19	तमिलनाडु	35.00	2.50	6.20	2.20	5.00	20.0	40.00	100.00	175.00
20	उत्तर प्रदेश पूर्वी	35.00	2.50	0.60	4.40	5.00	40.0		100.00	175.00
21	उत्तर प्रदेश पश्चिमी	35.00	2.50	1.20	8.80	15.00	40.0		100.00	175.00
22	पश्चिम बंगाल	35.00	3.75*		0.80	15.00	20.0		100.00	175.00
		770. 00	61.25	16.00	134.20	275.00	560.00	230.00	2200.00	3850.00

*पश्चिम बंगाल में 800 मेगाहर्टस बैंड में 3 कैरियर उपलब्ध हैं। तथापि 2 कैरियर गार्ड बैंड के बिना उपलब्ध है और केवल 1 कैरियर 0.3 मेगाहर्टस के गार्ड बैंड के साथ उपलब्ध है जो कि वर्ष 2016 में नीलामी पर रखा गया था पर बिक नहीं पाया था।

** हरियाणा और कर्नाटक के एलएसए में 900 मेगाहर्टस में केवल 0.2 मेगाहर्टस स्पैक्ट्रम उपलब्ध है जिसे वर्ष 2016 में नीलामी के लिए नहीं रखा गया था।

नोट: 700, 800, 900, 1800, 2100 मेगाहर्टस बैंडों में स्पैक्ट्रम की उपलब्धता, अपलिक और डाउनलिक स्पैक्ट्रम सहित पैयर्ड बैंडविड्थ अर्थात् 35.00 मेगाहर्टस की उपलब्धता यानि 35+35 मेगाहर्टस के रूप में दर्शाया गया है।

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

दिनांक 12 अगस्त, 2016

आदेश

विषय: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा लिए गए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी)।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1883 (1885 के अधिनियम संख्या 13) की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व के आदेश संख्या पी-14010/01/2014-एनटीजी दिनांक 5.2.2015 के अधिक्रमण में केंद्र सरकार इसके द्वारा 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में "एक्सेस सेवाएं" प्रदान करने के लिए लाइसेंस/प्राधिकार प्राप्त करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित स्पेक्ट्रम के लिए "स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क" की निम्नलिखित दरें निर्धारित करती है, :

1. 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 एमआई इज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड, नोटिस आमंत्रण आवेदन नंबर 1000/06/2016-डब्ल्यूएफ (नीलामी) दिनांक 8 अगस्त 2016 जिसे इसके बाद "एक्सेस स्पेक्ट्रम बैंड" कहा गया है, के अनुपालन में नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी को वायर लाइन सेवाओं से राजस्व को छोड़कर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 3 प्रतिशत पर चार्ज किया जाएगा।
2. किसी ऑपरेटर को सौंपे गए सभी स्पेक्ट्रम में एसयूसी दरों का भारत औसत (चाहे प्रशासनिक रूप से या नीलामी के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से) 2010 की नीलामी में अधिग्रहीत 2300 मेगाहर्ट्ज/2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में ब्रॉड बैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम सहित सभी एक्सेस स्पेक्ट्रम बैंड में लागू एसयूसी चार्ज को वायरलाइन सेवाओं से राजस्व को छोड़कर एडीजीआर के न्यूनतम 3 प्रतिशत पर की न्यूनतम दर को देखते हुए एसयूसी चार्ज करने पर लागू किया जाएगा। भारत औसत को स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स के उत्पाद के योग और कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग के लागू एसयूसी दर द्वारा उसके विभाजन से प्राप्त किया जाना है। भारत औसत दर प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए ऑपरेटरवार निर्धारित की जानी चाहिए। भारत औसत की गणना की विधि परिशिष्ट-1 पर है।
3. वर्ष 2015-16 के दौरान ऑपरेटरों द्वारा देय एसयूसी की राशि नोटिस आमंत्रण आवेदन संख्या 1000/06/2016-डब्ल्यूएफ (नीलामी) दिनांक 8 अगस्त 2016 के अनुसरण में नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए और 2015-16 से पहले अधिग्रहीत/आवृत्त 2300 मेगाहर्ट्ज/2500

मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम को बाहर रखते हुए और ऑपरेटरों द्वारा भुगतान की जाने वाली एसयूसी की राशि से भारित औसत से प्राप्त किया गया। इसके अलावा, यदि सेवा प्रदाता के एजीआर में कमी आती है, तो एसयूसी की फ्लोर राशि आनुपातिक रूप से कम की जाएगी। देय एसयूसी की फ्लोर राशि की गणना परिशिष्ट-2 में विस्तृत रूप में की जाएगी।

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

4. स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के उद्देश्य से, एक न्यूनतम/प्रकल्पित एजीआर होगा जो बोली राशि के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्कों की गणना न्यूनतम/प्रकल्पित एजीआर या वास्तविक एजीआर, इनमें से जो भी अधिक है, के आधार पर होगी।
 5. भारित औसत दर को दूसरे दशमलव के आंकड़े को अगले उच्च अंकों तक राउंड ऑफ करके दो दशमलव अंक तक रखा जाएगा। तीसरे दशमलव बिंदु 5 से कम होने पर भी दो दशमलव बिंदु पर अगले उच्च अंक तक राउंड ऑफ किया जाएगा।
 6. विभिन्न स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स के लिए लागू एसयूसी की स्लैब दरों का विवरण और दरों वर्ष 2010, 2012, 2013, 2014 और 2015 में विभिन्न बैंडों में आयोजित नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए लागू एसयूसी का विवरण संलग्न है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
4. एसयूसी की उपरोक्त दरों की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
5. इसे उप/एफटीएस 4026/एम (एफ) /16 दिनांक 10.08.2016 के माध्यम से दूरसंचार विभाग वित्त की सहमति के साथ जारी किया गया है।

(पीएसएम त्रिपाठी)

भारत सरकार के उप वायरलेस सलाहकार

प्रतिलिपि:

1. भादूविप्रा, नई दिल्ली के सचिव।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी, डीओटी।
3. डीजी पीएंडटी, ऑडिट, दिल्ली।
4. डीडीजी (डब्ल्यूपीएफ) डीओटी
5. डीडीजी (एस), डीओटी।
6. निदेशक वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली।
7. निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा, डीओटी
8. सभी एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स।
9. डॉट वेब साइट पर अपलोड करने के लिए निदेशक (आईटी)।

. सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

परिशिष्ट-1

प्रत्येक एलएसए के लिए एसयूसी के लिए भारत औसत दर की गणना की विधि

क	800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रशासनिक रूप से आवंटित	ए मेगाहर्ट्ज
ख	ऊपर (क) के लिए एसयूसी की एक मेगाहर्ट्ज दर (यह 25.2.2010 के डॉट आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी)	बी प्रतिशत
ग	प्रशासनिक रूप से 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड	सी मेगाहर्ट्ज
घ	दर में एसयूसी के लिए (ग) के लिए आवंटित (यह डीओटी आदेश दिनांक 25.2.2010 द्वारा निर्धारित होगा)	डी प्रतिशत
ङ	2010 में 2100 मेगाहर्ट्ज में आवंटित स्पेक्ट्रम	ई मेगाहर्ट्ज
च	ऊपर (ङ) के लिए एसयूसी की दर (यह उन लाइसेंसधारियों के लिए 2010 की एनआईए में निर्धारित होगी जिनका लाइसेंस समाप्त नहीं हुआ है। उन लाइसेंसधारियों के लिए, जिनका लाइसेंस समाप्त हो गया है, एसयूसी की दर इस मुद्दे पर अदालत के मामले के अंतिम परिणाम के अधीन एजीआर का 5प्रतिशत होगी।	एफ प्रतिशत
छ	2010 में 2300/2500 मेगाहर्ट्ज में आवंटित स्पेक्ट्रम	जी मेगाहर्ट्ज
ज	ऊपर (छ) के लिए एसयूसी की दर (यह 2010 की एनआईए में निर्धारित किया जाएगा यह दर 2300/2500 मेगाहर्ट्ज से एजीआर का 1 प्रतिशत है।	एच प्रतिशत
झ	2012 में 1800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम आवंटित	आई मेगाहर्ट्ज
ञ	ऊपर (झ) के लिए एसयूसी की दर (यह 2012 की एनआईए में निर्धारित किया जाएगा)	जे प्रतिशत
ट	2013 में 800 मेगाहर्ट्ज में आवंटित स्पेक्ट्रम	के मेगाहर्ट्ज
ठ	ऊपर (ट) के लिए एसयूसी की दर (यह 2013 की एनआईए में निर्धारित किया जाएगा)	एल प्रतिशत
ड	2014/2015 में 800 मेगाहर्ट्ज/900 मेगाहर्ट्ज/1800 मेगाहर्ट्ज/2100 मेगाहर्ट्ज में आवंटित स्पेक्ट्रम	एम मेगाहर्ट्ज
ढ	ऊपर (ड) के लिए एसयूसी की दर	एन प्रतिशत

	(यह 2014/2015 की एनआईए में निर्धारित किया जाएगा। यह एजीआर का 5 प्रतिशत होगा)	
ण	2016 में 700 मेगाहर्ट्ज/800 मेगाहर्ट्ज/900 मेगाहर्ट्ज/1800 मेगाहर्ट्ज/2100 मेगाहर्ट्ज/2300 मेगाहर्ट्ज/2500 मेगाहर्ट्ज में आबंधित स्पेक्ट्रम	ओ मेगाहर्ट्ज
त	ऊपर (ण) के लिए एसयूसी की दर (यह 2016 की एनआईए में निर्धारित किया जाएगा। यह एजीआर का 3 प्रतिशत होगा)	पी प्रतिशत

एसयूसी की भारत औसत दर:

$$[1A \times BV100 (C \times D/100 + (E F/100 + (G \times H)100 + (1 \times JV100 + (K \times L/100 + (MX N/100 + (O \times PV/100V(A+C+E+G+I+K+M+O))]$$

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

नोट:

एसयूसी की भारत औसत दर की उपरोक्त गणना के लिए, स्पेक्ट्रम होल्डिंग की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी:

- (क) फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स (एफडीडी) बैंड (यानी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज) में: आवंटित स्पेक्ट्रम बैंड में आवंटित अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी की मात्रा के योग के बराबर है।
- (ख) टाइम डिवीजन डुप्लेक्स (टीडीडी) बैंड (यानी 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज)में : आवंटित स्पेक्ट्रम बैंड में आवंटित आवृत्ति की मात्रा के बराबर है।

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

परिशिष्ट-2

एसयूसी की फ्लोर राशि की गणना

क	(वायर लाइन सेवाओं से राजस्व को छोड़कर) 2015-16 में एजीआर (रुपये में)	क रूपये
ख	आने वाली नीलामी में अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए लेकिन 2016 की नीलामी से पहले 2300 मेगाहर्ट्ज/2500 मेगाहर्ट्ज में आयोजित स्पेक्ट्रम को छोड़कर 2016-17 के लिए एसयूसी की दर का भारत औसत	ख प्रतिशत
ग	एजीआर (वायर लाइन सेवाओं से राजस्व को छोड़कर) 2016-17 में (रुपये में) या बाद के वर्षों में	ग रूपये
घ	एसयूसी की फ्लोर राशि (केवल उसी मामले में जहां 'ग' 'क' से कम है)	$(ग/क) \times (क \times ख) / 100$
ङ	ग के बराबर या उससे अधिक होने की स्थिति में एसयूसी की फ्लोर राशि क के बराबर है	$(क \times ख) / 100$

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

परिशिष्ट-3

1. प्रशासनिक रूप से आबंटित स्पैक्ट्रम होल्डिंग के लिए एसयूसी दर

आदेश संख्या पी-11014/18/2008-पीपी दिनांक 25.2.2010

जीएसएम स्पैक्ट्रम की राशि	सीडीएमए स्पैक्ट्रम की राशि	एजीआर के प्रतिशत के रूप में स्पैक्ट्रम चार्ज
2X4.4 मेगाहर्ट्स तक	2X5.0 मेगाहर्ट्स तक	3
2X6.2 मेगाहर्ट्स तक	2X6.25 मेगाहर्ट्स तक	4
2X8.2 मेगाहर्ट्स तक	2X7.5 मेगाहर्ट्स तक	5
2X10.2 मेगाहर्ट्स तक	2X10.0 मेगाहर्ट्स तक	6
2X12.2 मेगाहर्ट्स तक	2X12.5 मेगाहर्ट्स तक	7
2X15.2मेगाहर्ट्स तक	2X15.0 मेगाहर्ट्स तक	8

नोट: यह माननीय उच्चतम न्यायालय के 2010 की सिविल अपील सं. 9110-9111 एवं अन्य के फैसले पर निर्भर करता है।

2. 2010 के स्पैक्ट्रम निलामी में प्राप्त स्पैक्ट्रम के लिए एसयूसी दर

संख्या पी-11014/13/2008-पीपी दिनांक 25.2.2010 के माध्यम से 3जी और बीडब्ल्यूए की निलामी हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाली सूचना

निलामी का प्रकार	वर्तमान स्पैक्ट्रम आबंटन/ लाईसेंस श्रेणी			
3जी निलामी (2.1 गीगाहर्टज बैंड में फ़िक्सेसी)	यूएस/सीएमटीएस केवल जीएसएम के साथ	यूएस केवल सीडीएमए के साथ	दोहरी तकनीक के साथ यूएस (जीएसएम+सीडीएमए)	आईएसपी
	इन सेवाओं से राजस्व लागू करने के लिए अनुसूची ए के अनुसार लागू एजीआर और स्पेक्ट्रम शुल्क में जोड़ा जाएगा।	इन सेवाओं से राजस्व लागू करने के लिए अनुसूची बी के अनुसार लागू एजीआर और स्पेक्ट्रम शुल्क में जोड़ा जाएगा।	इन सेवाओं से राजस्व लागू करने के लिए अनुसूची ए और अनुसूची बी के अनुसार लागू एजीआर और स्पेक्ट्रम शुल्क में जोड़ा जाएगा।	लागू नहीं

बीडब्ल्यू निलामी (2.3 गीगाहर्टज बैंड में फ़िक्वेंसी)	बीडब्ल्यू सेवाओं से लागू एजीआर का 1 प्रतिशत (इस तरह के राजस्व के साथ अलग से रिपोर्ट किया जाना है)	बीडब्ल्यू सेवाओं से लागू एजीआर का 1 प्रतिशत (इस तरह के राजस्व के साथ अलग से रिपोर्ट किया जाना है)	बीडब्ल्यू सेवाओं से लागू एजीआर का 1 प्रतिशत (इस तरह के राजस्व के साथ अलग से रिपोर्ट किया जाना है)	बीडब्ल्यू सेवाओं से लागू एजीआर का 1 प्रतिशत (इस तरह के राजस्व के साथ अलग से रिपोर्ट किया जाना है)
--	--	--	--	--

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

- लागू एजीआर की गणना संबंधित सेवा लाइसेंस के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी
- दो नीलामियों में 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाने के लिए लाइसेंसी द्वारा कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग के स्लैब की गणना के लिए नहीं गिना जाए
- 3जी स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क 2जी और 3जी सेवाओं के कुल एजीआर पर देय होगा
- बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाली सेवाओं से प्राप्त राजस्व को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के अलावा स्पेक्ट्रम पर स्पेक्ट्रम शुल्क निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए लाइसेंसधारक के एजीआर में शामिल नहीं किया जाएगा
- वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क वाणिज्यिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार को दिए जाने की तारीख से लागू होगा। हालांकि, स्टैंडअलोन 3जी के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के साथ-साथ स्टैंड-अलोन 3जी+बीडब्ल्यूए ऑपरेटरों (यानी 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के विजेता जो 2जी स्पेक्ट्रम नहीं रखते हैं) के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान पर इस तारीख से एक वर्ष की रोक होगी। एक वर्ष की रोक 2जी+ 3जी स्पेक्ट्रम रखने वाले ऑपरेटरों पर लागू नहीं होगी
- स्टैंडअलोन 3जी ऑपरेटरों के लिए स्लैब दर अनुसूची ए यानी एजीआर के 3 प्रतिशत में सबसे कम स्लैब दर के बराबर होगी
- बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए, आवंटित स्पेक्ट्रम का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के अधिकार को दिए जाने की तारीख से पहले वर्ष में कोई वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क देय नहीं होगा।

3. नवंबर 2012 स्पेक्ट्रम नीलामी में अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी की दर:

संख्या 3-16/2012-फिन/नीलामी दिनांक 28.9.2012 के माध्यम से 1800 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

अनुसूची ए: जीएसएम ऑपरेटरों के लिए शुल्क (1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए लागू)	
स्पेक्ट्रम स्लैब	एजीआर का प्रतिशत
2X4.4 मेगाहर्ट्स तक	3
2X6.2 मेगाहर्ट्स तक	4
2X8.2 मेगाहर्ट्स तक	5
2X10.2 मेगाहर्ट्स तक	6

2X12.2 मेगाहर्ट्स तक	7
2X15.2मेगाहर्ट्स तक	8
अनुसूची बी: सीडीएमए ऑपरेटरों के लिए शुल्क (800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए लागू)	
2X5.0 मेगाहर्ट्स तक	3
2X6.25 मेगाहर्ट्स तक	4
2X7.5 मेगाहर्ट्स तक	5
2X10.0 मेगाहर्ट्स तक	6
2X12.5 मेगाहर्ट्स तक	7
2X15.0 मेगाहर्ट्स तक	8

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

मार्च 2013 की स्पेक्ट्रम नीलामी में अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी की दर :

1010/4/2012-डब्ल्यूएफ (नीलामी) दिनांक 30.1.2013 के माध्यम से 1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस

अनुसूची ए: जीएसएम ऑपरेटरों के लिए शुल्क (1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए लागू)	
स्पेक्ट्रम स्लैब	एजीआर का प्रतिशत
2X4.4 मेगाहर्ट्स तक	3
2X6.2 मेगाहर्ट्स तक	4
2X8.2 मेगाहर्ट्स तक	5
2X10.2 मेगाहर्ट्स तक	6
2X12.2 मेगाहर्ट्स तक	7
2X15.2 मेगाहर्ट्स तक	8
अनुसूची बी: सीडीएमए ऑपरेटरों के लिए शुल्क (800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए लागू)	
2X5.0 मेगाहर्ट्स तक	3
2X6.25 मेगाहर्ट्स तक	4
2X7.5 मेगाहर्ट्स तक	5
2X10.0 मेगाहर्ट्स तक	6
2X12.5 मेगाहर्ट्स तक	7
2X15.0 मेगाहर्ट्स तक	8

वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कों की गणना करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा

- लागू (समायोजित सकल राजस्व) एजीआर की गणना प्रासंगिक सेवा लाइसेंस के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी: राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाने के उद्देश्य से, वायर लाइन ग्राहकों से राजस्व को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
- वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार को दिए जाने की तारीख से लागू होगा।

- स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के उद्देश्य से एक न्यूनतम एजीआर होगा जो बोली राशि के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना न्यूनतम एजीआर या वास्तविक एजीआर, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी।
- इस नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जा रहे स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए स्लैब निर्धारित करने के लिए जोड़ा जाएगा।
- स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए स्लैब निर्धारित करने के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम को जोड़ा जाएगा।

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

(5) फरवरी 2014 स्पेक्ट्रम नीलामी में अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी की दर:

आदेश संख्या पी-14010/01/2014-एनटीजी दिनांक 31.10.2014

- (1) 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में फरवरी, 2014 के दौरान नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए एजीआर के 5 प्रतिशत पर एसयूसी शुल्क लिया जाएगा।
- (2) नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड और स्पेक्ट्रम में मौजूदा स्पेक्ट्रम के संयोजन के मामलों में, भारित औसत की गणना को (क) फरवरी 2014 के दौरान हुई नीलामी से पहले आयोजित स्पेक्ट्रम के बराबर स्पेक्ट्रम के योग को 25 फरवरी 2010 के आदेश के अनुसार लागू स्लैब दर से गुणा के बराबर होगी और (ख) फरवरी 2014 के दौरान हुई नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम पांच से गुणा किया जाएगा और फिर कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग द्वारा विभाजित (क) और (ख) के योग के बराबर होगा।
- (3) वे लाइसेंसधारी, जिन्होंने फरवरी 2014 के दौरान आयोजित नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण नहीं किया है 25.02.2010 के आदेश के अनुसार लागू स्लैब दर पर एसयूसी का भुगतान जारी रखेंगे।
- (4) स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के उद्देश्य से, एक न्यूनतम एजीआर होगा जो बोली राशि के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना न्यूनतम एजीआर या वास्तविक एजीआर के आधार पर होगी जो भी अधिक है।
- (5) भारित औसत दर को दूसरे दशमलव के आंकड़े को अगले उच्च अंकों तक राउंड ऑफ करके दो दशमलव अंक तक रखा जाएगा। तीसरे दशमलव बिंदु 5 से कम होने पर भी दो दशमलव बिंदु पर अगले उच्च अंक तक राउंड ऑफ किया जाएगा।
- (6) 2010 में नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के संबंध में, वर्तमान परिपाटी के अनुसार एसयूसी का शुल्क लिया जाना जारी रहेगा (यानी 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए दिनांक 25.02.2010 के नोटिस आमंत्रित आवेदन (एनआईए) का पैरा 3.5), बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले लाइसेंसधारकों को वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में इस स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाली सेवाओं से 1 प्रतिशत एजीआर का भुगतान करने की आवश्यकता है। इस तरह के राजस्व की रिपोर्ट अलग से की जानी चाहिए और ऑपरेटर को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के उपयोग और वहां अर्जित राजस्व की रिपोर्ट अलग से करने की आवश्यकता होगी। ऑपरेटर को राजस्व को गलत दिखाने से रोकने के लिए बीडब्ल्यूए आवृत्तियों से अर्जित राजस्व की स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन के लिए एक प्रणाली बनानी होगी।

सं. पी-14010/05/2016

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

(6) मार्च 2015 स्पेक्ट्रम नीलामी में अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए एसयूसी की दर:

आदेश संख्या पी-14010/01/2014-एनटीजी दिनांक 5.2.2015

- (1) मार्च 2015 के दौरान 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम के लिए, एसयूसी एजीआर के 5 प्रतिशत पर चार्ज किया जाएगा।
- (2) नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड और स्पेक्ट्रम में मौजूदा स्पेक्ट्रम के संयोजन के मामलों में, भारत औसत की गणना को (क) मार्च 2015 के दौरान हुई नीलामी से पहले आयोजित स्पेक्ट्रम के बराबर स्पेक्ट्रम के योग को दिनांक 25.02.2010, 31.10.2014 के आदेश और 25.02.2010 के नोटिस आमंत्रित आवेदन (एनआईए) के अनुसार एसयूसी दरों के अनुसार लागू स्लैब दर से गुणा के बराबर होगी और (ख) मार्च 2015 के दौरान हुई नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम पांच से गुणा किया जाएगा और फिर कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग द्वारा विभाजित (क) और (ख) के योग के बराबर होगा।
- (3) वे लाइसेंसधारी, जिन्होंने फरवरी 2014/मार्च 2015 के दौरान आयोजित नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण नहीं किया है 25.02.2010 के आदेश के अनुसार लागू स्लैब दर पर एसयूसी का भुगतान जारी रखेंगे।
- (4) स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के उद्देश्य से, एक न्यूनतम एजीआर होगा जो बोली राशि के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना न्यूनतम एजीआर या वास्तविक एजीआर, इनमें से जो भी अधिक है, के आधार पर होगी।
- (5) भारत औसत दर को दूसरे दशमलव के आंकड़े को अगले उच्च अंकों तक राउंड ऑफ करके दो दशमलव अंक तक रखा जाएगा। तीसरे दशमलव बिंदु 5 से कम होने पर भी दो दशमलव बिंदु पर अगले उच्च अंक तक राउंड ऑफ किया जाएगा।
- (6) 2010 में नीलामी के माध्यम से अधिग्रहीत बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के संबंध में, वर्तमान परिपाटी के अनुसार एसयूसी का शुल्क लिया जाना जारी रहेगा (यानी 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए दिनांक 25.02.2010 के नोटिस आमंत्रित आवेदन (एनआईए) का पैरा 3.5), बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले लाइसेंसधारकों को वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में इस स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाली सेवाओं से 1 प्रतिशत एजीआर का भुगतान करने की आवश्यकता है। इस तरह के राजस्व की रिपोर्ट अलग से की जानी चाहिए और ऑपरेटर को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के उपयोग और वहां अर्जित राजस्व की रिपोर्ट अलग से करने की आवश्यकता होगी। ऑपरेटर को राजस्व को गलत दिखाने से रोकने के लिए बीडब्ल्यूए आवृत्तियों से अर्जित राजस्व की स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन के लिए एक प्रणाली बनानी होगी।

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

वायरलेस प्लानिंग एंड को-ऑर्डिनेशन विंग

छठी मंजिल, संचार भवन,

20, अशोका रोड, नई दिल्ली – 110 001

नम्बर: एल-14004/07/2018-एनटीजी

तिथि: 29.11.2018

सेवा में,

भारती एयरटेल लिमिटेड,
भारती क्रिसेंट
1, नेल्सन मंडेला रोड,
वसंत कुंज, फेज-2,
नई दिल्ली – 110070

टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड/
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड,
2-ए, ओल्ड ईश्वर नगर,
मेन मथुरा रोड,
नई दिल्ली – 110 065.

विषय: आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एलएसए में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में और स्पेक्ट्रम शेयरिंग।

संदर्भ: दिनांक 24.09.2015 को एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए दिशानिर्देश।

महोदय,

मुझे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एलएसए में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम शेयरिंग के संबंध में 14-08-2018 को आपके संयुक्त सूचना पत्रों का उल्लेख करने का निर्देश हुआ है और यह बताने का निर्देश हुआ है कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए इन अनुरोधों को 30-09-2018 से रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

2. शेयरिंग की अवधि समाप्त होने की तारीख सेवा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने, स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार की समाप्ति या शेयरिंग की प्रस्तावित अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, की तारीख होगी। परिशिष्ट के अनुसार फ्रिक्वेंसी कैरियर्स, स्पेक्ट्रम की मात्रा और शेयरिंग की अवधि समाप्त होने का ब्यौरा दिया गया है।

3. जैसा कि 24.09.2015 के शेयरिंग दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, साझा करने के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारियों की स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) दर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। आंशिक महीने के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामले में, एसयूसी लगाने के उद्देश्य से पूरे एक महीने की अवधि की गणना की जाएगी। उपर्युक्त दो एलएसए –महाराष्ट्र और मुंबई के लिए संशोधित एसयूसी साझा करने की प्रभावी तारीख से प्रभावी होगा।

4. साझाकरण के नियम और शर्तें एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम के बंटवारे पर 24.09.2015 के दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाएंगी।

5. यह भी स्पष्ट किया गया है कि साझा उदारीकृत स्पेक्ट्रम के साथ गैर-उदार/प्रशासनिक रूप से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के संयोजन की अनुमति नहीं है और तदनुसार लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक रूप से सौंपे गए स्पेक्ट्रम की शेयरिंग न हो।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय

(नीरज जुयाल)

सहायक वायरलेस सलाहकार

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (डब्ल्यूएम), डब्ल्यूएम, पुष्पा भवन, नई दिल्ली-110062, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोग अनुमोदित साझाकरण व्यवस्थाओं के अनुरूप है।
2. डीडीजी (डब्ल्यूपीएफ), संचार भवन, नई दिल्ली-110001 जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
3. डीडीजी (एएस), संचार भवन, नई दिल्ली-110001 जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।

सं. एल:14004 / 07 / 2018-एनटीजी

दिनांक 29 नवम्बर, 2018

फ़िक्वेंसी कैरियर, स्पैक्ट्रम की मात्रा और भारती और टाटा के बीच एक्सेस स्पैक्ट्रम साझा करने की अवधि की समाप्ति का ब्यौरा

एलएसए	साझा किए गए स्पैक्ट्रम का ब्यौरा				साझा करने की अवधि की समाप्ति
	भारती		टाटा		
	फ़िक्वेंसी	मात्रा	फ़िक्वेंसी	मात्रा	
1800 मेगावार्टस बैंड					
आंध्र प्रदेश	1715.9 –1732.3 / 1810.9–1827.3 मेगाहर्टस	16.4 मेगाहर्टस	1732.3–17373 / 1827.3 – 1832.3 मेगाहर्टस	5.0 मेगाहर्टस	दिनांक 13 मार्च 2023
महाराष्ट्र	1727.5–1737.5 / 1822.5–1832.5	10.0 मेगाहर्टस	1737.5–1742.5 / 1832.5–1737.5 मेगाहर्टस	5.0 मेगाहर्टस	दिनांक 27 सितम्बर 2021

शेयरिंग के उपरांत लागू भारित औसत एसयूसी दर की गणना का नमूना

मान्यताएं:

1. टीएसपी 1 और टीएसपी 2 दोनों ने दिल्ली एलएसए में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी अधिग्रहीत/उदारीकृत स्पेक्ट्रम को होल्ड किया।
2. टीएसपी 1 और टीएसपी 2 दिल्ली एलएसए में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद स्पेक्ट्रम साझा करने का समझौता करते हैं।
3. स्पेक्ट्रम शेयरिंग से पहले दोनों टीएसपी के लिए दिल्ली एलएसए में वर्तमान होल्डिंग्स और लागू एसयूसी दरें इस प्रकार हैं:

टीएसपी 1

क्रम सं.	बैंड	प्राप्त स्पेक्ट्रम की मात्रा (मेगाहर्ट्ज में)	दर
1	800 (साझा)	4	3 प्रतिशत
2	900	5	4 प्रतिशत
3	1800	6	5 प्रतिशत

स्पेक्ट्रम साझा करने से पहले भारित औसत एसयूसी दर (डबल्यूएआर):

$$\text{डबल्यूएआर} = 4 * 3\% + 5 * 4\% + 6 * 5\% = 4.1333:$$

$$(4+5+6)$$

टीएसपी 2

क्रम सं.	बैंड	प्राप्त स्पेक्ट्रम की मात्रा (मेगाहर्ट्ज में)	दर
1	800 (साझा)	5	5 प्रतिशत
2	1800	3	4 प्रतिशत
3	2100	3	3 प्रतिशत

स्पेक्ट्रम साझा करने से पहले भारित औसत एसयूसी दर (डबल्यूएआर):

$$\text{डबल्यूएआर} = 5 * 5\% + 3 * 4\% + 3 * 3\% = 4.1818\%$$

$$(5+3+3)$$

स्पेक्ट्रम शेयरिंग के उपरांत भारत औसत एसयूसी दर की गणना:

परिदृश्य 1 – 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त एसयूसी दर केवल साझा किए गए विशेष बैंड यानी 800 मेगाहर्ट्ज पर ही लागू होती है।

टीएसपी 1

$$\text{स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद डबल्यूएआर} = \frac{4 * 3.5\% + 5 * 4\% + 6 * 5\%}{(4+ 5+ 6)} = 4.2666 \text{ प्रतिशत}$$

टीएसपी 2

$$\text{स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद डबल्यूएआर} = \frac{5 * 5.5\% + 3.4\% + 3 * 3\%}{(5+ 3+3)} = 4.4090 \text{ प्रतिशत}$$

परिदृश्य 2 – 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त एसयूसी दर समग्र भारत औसत दर (डबल्यूएआर) पर लागू होती है

टीएसपी 1

$$\text{स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद डबल्यूएआर} = \frac{4 * 3\% + 5 * 4\% + 6 * 5\%}{(4+5+6)} + 0.5\% = 4.6333 \text{ प्रतिशत}$$

टीएसपी 2

$$\text{स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद डबल्यूएआर} = \frac{5 * 5\% + 3 * 4\% + 3 * 3\%}{(5+3+3)} + 0.5\% = 4.6818 \text{ प्रतिशत}$$

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं।

यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।

